"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 मार्च 2012—चैत्र 10, शक 1934

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 02-19/2012/वाक.(पं.)/पांच (11).—भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का संख्यांक 16) की धारा 5 तथा 7 के अनुसरण में राज्य सरकार एतद्द्वारा :—

निम्नलिखित रजिस्ट्रीकरण जिलों को बनाती है :—

(1) (क) रजिस्ट्रीकरण जिला बेमेतरा बनाती है, जिसमें संपूर्ण बेमेतरा, नवागढ़, बेरला, साजा तथा थानखम्हरिया राजस्व तहसीलें समाविष्ट होंगी जो कि दुर्ग रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित हैं तथा उसके भाग हैं, किन्तु जो इसके पश्चात् उक्त दुर्ग रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित नहीं रहेंगे या उसके भाग नहीं रहेंगे;

(ख) बेमेतरा में एक कार्यालय की स्थापना करती है, जिसका नाम कार्यालय रजिस्ट्रार, बेमेतरा होगा;

(2) (क) रजिस्ट्रीकरण जिला बालोद बनाती है, जिसमें संपूर्ण बालोद, डौण्डी, डौण्डीलोहारा, गुरूर, गुण्डरदेही राजस्व तहसीलें समाविष्ट होंगी जो कि दुर्ग रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित हैं तथा उसके भाग हैं, किन्तु जो इसके पश्चात् उक्त दुर्ग रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित नहीं रहेंगे या उसके भाग नहीं रहेंगे;

(ख) बालोद में एक कार्यालय की स्थापना करती है, जिसका नाम कार्यालय रजिस्ट्रार, बालोद होगा;

(3) (क) रजिस्ट्रीकरण जिला बलौदाबाजार बनाती है, जिसमें संपूर्ण बलौदाबाजार, बिलाईगढ़, कसडोल, पलारी, भाटापारा, सिमगा राजस्व तहसीलें समाविष्ट होंगी जो कि रायपुर रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित हैं तथा उसके भाग हैं, किन्तु जो इसके पश्चात् उक्त रायपुर रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित नहीं रहेंगे या उसके भाग नहीं रहेंगे;

(ख) बलौदाबाजार में एक कार्यालय की स्थापना करती है, जिसका नाम कार्यालय रजिस्ट्रार, बलौदाबाजार होगा;

(4) (क) रजिस्ट्रीकरण जिला गरियाबंद बनाती है, जिसमें संपूर्ण गरियाबंद, फिंगेश्वर, छुरा, मैनपुर तथा देवभोग राजस्व तहसीलें समाविष्ट होंगी जो कि रायपुर रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित हैं तथा उसके भाग हैं, किन्तु जो इसके पश्चात् उक्त रायपुर रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित नहीं रहेंगे या उसके भाग नहीं रहेंगे;

(ख) गरियाबंद में एक कार्यालय की स्थापना करती है, जिसका नाम कार्यालय रजिस्ट्रार, गरियाबंद होगा;

(5) (क) रजिस्ट्रीकरण जिला मुंगेली बनाती है, जिसमें संपूर्ण मुंगेली, पथरिया तथा लोरमी राजस्व तहसीलें समाविष्ट होंगी जो कि बिलासपुर रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित हैं तथा उसके भाग हैं, किन्तु जो इसके पश्चात् उक्त बिलासपुर रजिस्ट्रीकरण जिले में सम्मिलित नहीं रहेंगे या उसके भाग नहीं रहेंगे;

(ख) मुंगेली में एक कार्यालय की स्थापना करती है, जिसका नाम कार्यालय रजिस्ट्रार, मुंगेली होगा;

(6) यह निर्देश देती है कि ऊपर सरल क्रमांक (1), (2), (3), (4) तथा (5) के खण्ड (क) एवं (ख) के अधीन जिलों का बनाया जाना तथा रजिस्ट्रार के कार्यालय का स्थापित किया जाना तारीख 1-4-2012 को तथा से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2012

क्रमांक एफ 02-19/2012/वाक.(पं.)/पांच (11).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 02-19/2012/वाक.(पं.)/पांच (11), दिनांक 26-03-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, सचिव.

Raipur, the 26th March 2012

NOTIFICATION

No. F 02-19/2012/CT (R)/V (11).—In exercise of the powers conferred by Section 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (XVI of 1908), the State Government hereby :—

Forms the following Registration Districts :—

1. (a) Registration District of Bemetara Comprising the whole of Bemetara, Navagarh, Berla, Saja and Than-khamhariya Revenue Tahsils which are included in and form part of Durg Registration-District but shall hereafter cease to be included in or form part of the said Durg District.

(b) establishes an office at Bemetara to be styled as the office of Registrar, Bemetara;

2. (a) Registration District of Balod comprising the whole of Balod, Daundi, Dondilohara, Gurur and Gundardehi Revenue Tahsils which are included in and form part of Durg Registration-District but shall hereafter cease to be included in or form part of the said Durg District.

(b) establishes an office at Balod to be styled as the office of Registrar, Balod;

3. (a) Registration District of Baloda Bazar comprising the whole of Baloda Bazar, Bilaigarh, Kasdol, Palari, Bhatapara and Simga Revenue Tahsils which are included in and form part of Raipur Registration-District but shall hereafter cease to be included in or form part of the said Raipur District.

(b) establishes an office at Baloda Bazar to be styled as the office of Registrar, Baloda Bazar;

4. (a) Registration District of Gariyaband comprising the whole of Gariyaband, Phingeshwar, Chhura, Mainpur and Devbhog Revenue Tahsils which are included in and form part of Raipur Registration-District but shall hereafter cease to be included in or form part of the said Raipur District.

(b) establishes an office at Gariyaband to be styled as the office of Registrar, Gariyaband;

5. (a) Registration District of Mungeli comprising the whole of Mungeli, Pathariya and Lormi Revenue Tahsils which are included in and form part of Bilaspur Registration-District but shall hereafter cease to be included in or form part of the said Bilaspur District.

(b) establishes an office at Mungeli to be styled as the office of Registrar, Mungeli;

6. Directs that the formation of the District and the establishment of the office of Registrar under clause (a) and (b) of Serial Number 1, 2, 3, 4 and 5 above shall take effect on and from the 1-4-2012.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. S. MISHRA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.